कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1677 /11–सी–FP/UP/Approach/145661/2021, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 04 ,2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद–देवरिया के अंतर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के किमी0 नं0–14 से 15के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0–908, ग्राम–कोन्हवलियॉ, पो0–कंचनपुर, तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/12/2023/एफ0सी0/424, दिनांक 28.11.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक–1485/2–6, दिनांक 26.12.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांक–1485/2–6, दिनांक 26.12.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1677 /11–सी–FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, देवरिया।
3. उप महाप्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, गोरखपुर–देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

रजिस्टर्ड/प्रमुख

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 1485 /2–6, ,दिनांक, गोरखपुर, दिसम्बर 26/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

Ad.S.O.
ccf nodal
02/01/24

विषय– जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोल कारपो0 लि0 द्वारा देवरिया–कसया मार्ग एच0एच0–79 के किमी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या– 908, ग्राम–कोन्हवलियॉ, पो0–कंचनपुर ,तहसील व जिला–देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित 0.075028 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया का पत्रांक– 1384/2–6, दि0 04.12.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक–1384/2–6, दि0 04.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त प्रस्ताव में इंगित कमियों/त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव का परीक्षण कर मूल में एत्सह संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर

संख्या– अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ,देवरिया

पत्रांक 1384 / 2-6 दिनांक, देवरिया, दिसम्बर 04 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :– **जनपद–देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के कि0मी0 सं0–14 से 15 के मध्य दायी पटरी पर गाटा सं0–908, ग्राम–कोन्हवलियाँ, पो0–कंचनपुर, तहसील व जिला–देवरिया के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1353 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / एप्रोच / 145661 / 2021 दिनांक 29.11.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार हैः–

क0सं0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	2	3
1	**प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया व मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट 10 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी।**	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया व मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक–1) ।
2	**प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत कार्यवाही करेगें।**	विषयगत प्रकरण में बिना स्वीकृति का वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन है। इसमें भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के अन्तर्गत एच–2 केस जारी कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। भारत सरकार के पत्र सं०–F.No. 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा कराने हेतु बचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है।

भवदीय

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निर्गत
07.12.2023
मु०प्र०स०

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

/DM.BABU

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 30.11.2023 को मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0–908, ग्राम कोन्हवलियॉ पो0–कंचनपुर, तहसील व जिला–देवरिया में पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एप्रोच रोड का उपयोग बिना भारत सरकार की स्वीकृति के गैर वानिकी प्रयोग किया गया है, उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रस्ताव के पूर्ण अभिलेख को परीक्षण किया गया, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक 08.07.2022 को पेट्रोल पम्प संचालित किया गया है। पूर्व में प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 जो प्रभागीय निदेशक व प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया गया तत्समय पेट्रोल पम्प संचालन में नहीं था उसके बाद दिनांक 08.07.2022 को प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन प्रारम्भ किया गया तथा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक 867/शस्त्र–2021 दिनांक 22.04.2021 द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 के आधार पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है। वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग बिना भारत सरकार के अनुमति के किया गया है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। जिसके कम में रेंज केस सं0–36/2022–23 दिनांक 14.12.2022 द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के तहत जारी करते हुए कार्यवाही की गयी जिसके कम में प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा ई–3 संख्या–12943/41 दिनांक 01.06.2023 मु0 40,000.00 प्रतिकर की धनराशि जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा करने हेतु बचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है, जो उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

उक्त के कम में पुनः अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है, परन्तु संरक्षित वन भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

/DM.BABU

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 30.11.2023 को मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित देवरिया–कसया मार्ग (एस0एच0–79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0–908, ग्राम कोन्हवलियॉ पो0–कंचनपुर, तहसील व जिला–देवरिया में पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एप्रोच रोड का उपयोग बिना भारत सरकार की स्वीकृति के गैर वानिकी प्रयोग किया गया है, उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रस्ताव के पूर्ण अभिलेख को परीक्षण किया गया, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक 08.07.2022 को पेट्रोल पम्प संचालित किया गया है। पूर्व में प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 जो प्रभागीय निदेशक व प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया गया तत्समय पेट्रोल पम्प संचालन में नहीं था उसके बाद दिनांक 08.07.2022 को प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन प्रारम्भ किया गया तथा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक 867/शस्त्र–2021 दिनांक 22.04.2021 द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 के आधार पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है। वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग बिना भारत सरकार के अनुमति के किया गया है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। जिसके कम में रेंज केस सं0–36/2022–23 दिनांक 14.12.2022 द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के तहत जारी करते हुए कार्यवाही की गयी जिसके कम में प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा ई–3 संख्या–12943/41 दिनांक 01.06.2023 मु0 40,000.00 प्रतिकर की धनराशि जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा करने हेतु बचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है, जो उच्च्व स्तर को प्रेषित किया गया है।

उक्त के कम में पुनः अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है, परन्तु संरक्षित वन भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

/DM.BABU

F. No. 11-42/2017 – FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryaravan Bhawan,
Aliganj, Jorbhagh Road,
New Delhi – 110003

Dated: 29th January, 2018

To

The Principal Secretary (forests)
All States/Union Territory Governments

Sub: Activities which constitutes violations of provisions of Forest Conservation Act 1980 and rules made thereof and guidelines issued in this behalf, by user agencies and quantum of penalty to be imposed –regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under FC Act 1980.

Sir,

I am directed to invite your kind attention that the Forest Advisory Committee (FAC), constituted under Section 3 of the Forest Conservation Act 1980, while discussing proposals submitted under FC Act 1980, in its meeting held on 25.04.2017 noted with great concern somewhat inconsistent approach adopted by different Regional Empowered Committees of MoEF&CC and FAC itself in case of violations committed by user agencies of forest land in contravention of the provisions of Forest Conservation Act, 1980 and consequently recommending monitory penalty such as penal CA and penal NPV etc. in addition to mandatory compensatory levies. It was observed that the decisions to classify certain activities undertaken by the user agencies as violation and quantum of penalty imposed therein for the similar offence are different on different occasions due to absence of common guidelines.

2. It was, therefore, decided by the FAC to constitute a Committee of APCCF (central) Regional Offices, MoEF&CC and a member of the FAC to examine various aspects and different situations and activities which will constitute violations of provisions rules and guidelines issued under Forest Conservation act 1980 and suggest penalty in various situations, if the activities are treated as violation and thus as offence so as to dissuade the user agencies from committing such violations in future and compensate the loss caused due to such violation.

3. Accordingly on the recommendation of FAC, the following Committee was constituted vide this Ministry's letter of even number dated 05.06.2017.

i. Dr. Tejinder Singh, APCCF, Regional Office, Bhopal;	Chairman
ii. Dr. Sanjay Deshmukh, Member, FAC;	Member
iii. Sh. Kanwarjit Singh, APCCF, Regional Office, Nagpur;	Member
iv. Sh. MRG Reddy, APCCF, Regional Office, Chennai;	Member

4. The Committee submitted its recommendations to the Ministry on 15.05.2017 and the same was discussed in the Ministry and the final recommendation of the Committee was placed before the Forest Advisory Committee in its meeting dated 26.10.2017. The recommendation of the Committee was accepted and recommended by the FAC. The recommendations of FAC was placed before the competent authority in the Ministry. The

Sd/- 29.1.18

competent authority has accepted the report of the Committee on the recommendation of the FAC.

3. Accordingly, this Ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendations of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purposes in violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act 1980, Rules made thereof and guidelines issued from time to time to implement FC Act and Rules:

A. In cases where the proposal under FC Act has not been submitted and forest land is diverted without FC:

i. Diversion of forest land for non-forestry purposes without the prior approval of the competent authority in the state will be dealt under the provisions of Indian Forest Act 1927 or State Forest Acts or any other State act dealing with such land as the case may be. The land in question will not be considered as diverted under FCA 1980 and the status of land shall continue to be Forest.

ii. If the permission for use of forest land for non-forestry purposes have been granted by the state authority without the prior approval of the central government under section 2 of the Forest Conservation Act 1980 then action under section 3A and /or 3B of FC Act, as may be applicable shall be taken against the authority causing the diversion. A report with full details of violation shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department of the State to the Ministry of Environment, Forests & Climate Change Government of India, New Delhi and formal enquiry shall be conducted by the Regional Office of the MoEF & CC.

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to **five (5) times the** NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (i) above.

iii. State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.

iv. User agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the state for unauthorized use of forest land without the permission of state authority.

C. Violation /non-compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act:

In such cases the penalty will be imposed on the recommendation of the APCCF Regional office in whose jurisdiction the alleged violation has occurred. The violation will be reported to REC/FAC and the committee will give time to comply the conditions within stipulated time:

i. In case the offence is proved then the penalty shall be imposed for violation committed over forest area without approval equal to twice the normal NPV.

ii. In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20 % of the penalty proposed in para (i) above.

D. Violation on account of change of land use in the approved mining plan:

i. No penalty is to be imposed for such violation if the change is as per change in mining plan duly approved by competent authority. User agency shall intimate all approvals related to change in mining plan to the regional office within one month of approval. In other cases, change in land use plan shall not be carried out without prior approval of MoEF&CC under the provisions of FCA 1980.

ii. Any violation of change in land use (other than mining operations), penalty of two times the NPV plus simple interest 12 per cent from the date of actual violation committed will be imposed.

iii. In case the approved change in mining plan is not intimated within one month of the approval the same fine shall be imposed as in para D(ii).

E. In cases where 'Forest land' has been changed to 'non forest land' in government records: If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed.

This issue with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

29.1.16

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office
2. Secretary, Ministry of Mines/Coal/Steel/Power, Government of India.
3. Principal Chief Conservator of Forests, All States/UTs.
4. Nodal Officers, the Forest (Conservation) Act, 1980 All States/UTs.
5. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
6. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, New Delhi.
7. PS to Hon'ble Minister of Environment, Forests and Climate Change and Minister of State for Environment, Forests and Climate Change.
8. Chairman, State Environment Impact Assessment Authority, All States/UTs.
9. Member Secretary, State Environment Impact Assessment Authority, All States/UTs
10. All Directors/Assistant Inspector General of Forest in Forest Conservation Division of MoEF&CC.
11. All Advisors/Directors/Dy Directors in Impact Assessment Division of MoEF&CC.
12. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
13. PPS to the Secretary for Environment, Forests and Climate Change, New Delhi.
14. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEF&CC, GoI.
15. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.
16. PPS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.
17. Guard File.

29.1.16

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री संजय कुमार (डी0जी0एम0 रिटेल) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 एच0पी0सी0एल0, प्रशान्त टॉवर (भूतल) महेबा, चुंगी, ट्रान्सपोर्ट नगर, गोरखपुर, पत्रांक आरयू/एमपीएम/333 कोन्हवलिया, देवरिया दिनांक 13.01.2020 द्वारा ग्राम–कोन्हवलिया, परगना–शाहजहॉपुर, तहसील–देवरिया, जनपद–देवरिया के खसरा/गाटा सं0–908/0.975 हे0 पर न्यू रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–534(1–7)/शस्त्र–2020 दिनांक 14.01.2020 द्वारा पुलिस अधीक्षक देवरिया, उप जिलाधिकारी देवरिया, अग्निशमन अधिकारी देवरिया, अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 देवरिया, जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया, प्रभागीय निदेशक, सा0वा0वन प्रभाग, देवरिया, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया, व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से आख्या/अनापत्ति प्राप्त की गयी।

1— पुलिस अधीक्षक, देवरिया के पत्रांक आर/एसपी–37 (पेट्रोल पम्प)/20 दिनांक 26.12.2020 द्वारा थानाध्यक्ष–तरकुलवा की आख्या दिनांक 11.02.2020 जो क्षेत्राधिकारी–देवरिया द्वारा दिनांक 01.12.2020, प्रभारी डी0सी0आर0बी0 द्वारा दिनांक 10.11.2020 व अपर पुलिस अधीक्षक, देवरिया द्वारा दिनांक 21.12.2020 द्वारा अनापत्ति/संस्तुति सहित अग्रसारित है, को मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

2— उप जिला मजिस्ट्रेट, भाटपाररानी के पत्रांक–524/आ0लि0–2021, दिनांक 28.01.2021 द्वारा तहसीलदार–देवरिया की आख्या दिनांक 30.12.2020 संलग्न कर उल्लेख किया गया है कि ग्राम–कोन्हवलिया, तप्पा–शाहजहॉपुर, स्थित गाटा संख्या–908/0.975 हे0 अंकित है। उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे में चन्द्रभूषण व राघव व हरेन्द्र व दयाशंकर पुत्रगण सूर्यनारायण एवं ओमप्रकाश व चन्द्रभान व संतोष व आदित्य पुत्रगण कपिलदेव व सुशीला देवी पत्नी कपिलदेव सहखातेदार के रूप में अंकित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प निर्माण हेतु उक्त भूमि पर अंक के अनुसार बटवारा नही हुआ है किन्तु सह खातेदार चन्द्रभूषण व राघव व हरेन्द्र व दयाशंकर पुत्रगण सूर्यनारायण एवं आदित्य पुत्रगण कपिलदेव द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि ग्रामसभा अथवा पट्टे की नही है। सह खातेदार सुशीला देवी पत्नी कपिलदेव तिवारी की मृत्यु दिनांक 01.01.2019 को हो चुकी है। पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

3— मुख्य अग्निशमन अधिकारी, देवरिया की अनापत्ति पत्र संख्या–एफ0एस0/निरीक्षण (पेट्रोल पम्प)–1/2020 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार ग्राम–कोन्हवलिया, (देवरिया कसया मार्ग पर) तहसील–देवरिया, जिला–देवरिया में प्लाट सं0–908 (देवरिया कसया मार्ग पर) में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प की स्थापना हेतु स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देवरिया द्वारा कराया गया तो प्राप्त आख्यानुसार कोई आपत्तियुक्त तथ्य प्रकाश में नहीं आये। आख्या का विवरण निम्न है:—

1— प्रस्तावित स्थल (35×35) देवरिया से कसया मार्ग पर स्टोन नं0–14 से 8 मीटर पिछे दाये तरफ ग्राम–कोन्हवलिया में स्थित है।

2— स्थल उपयुक्तता नेशनल बिल्डिंग कोड आफ–2005 के पार्ट –(3) के क्लास 5–5–4 के मानक के अनुरूप है।

3— प्रस्तावित स्थल एच0एस0डी0 35 के0एल0 व एम0एस0 16 के0एल0 हेतु दो–दो आउटलेट 6 मी0 लम्बाई पर बनाया गया है।

4— प्रश्नगत आउटलेट के मानचित्र में 11.50 मीटर चौड़ाई का प्रवेश व 11.50 मीटर का निकास का द्वार तथा 12 मीटर लम्बाई व 03 चौड़ा बफर स्ट्रीप बनाया गया है।

5— प्रश्नगत प्लांट के तीन तरफ 1.20 मीटर ऊचाई व 0.23 मीटर बाउन्ड्री वाल बनाया जाना प्रस्तावित है।

6— एच0एस0डी0 35 के0एल0 का एक अण्डर ग्राउण्ड टैंक E/PIT साइड 2.66×6.75 मी0 का एवं एम0एस0 16 के0एल0 का अण्डर ग्राउण्ड टैंक E/PIT साइड 2.00×5.50 मी0 का निर्माण आई0एस0 10987:1998 के अनुरूप किया जाना है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली

1— भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा जारी OISO (आयल इण्डस्ट्रीज सेफ्टी डायरेक्टिविस) 205 में रिटेल आउटलेट में दिये गये निर्देशों का पालन अक्षरशः किया जाना आवश्यक होगा।

मानक आई0एस0 15683:2006 के अनुसयसार निम्न फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किये जायें:—

2—	ए0बी0सी0 टापइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9/4 कि0ग्रा0/सीओटू टाइप	10 अद्द
3—	डी0सी0पी0 टाइप एक्सटिंगग्यूशर ट्राली क्षमता 50 कि0ग्रा0	01 अद्द
4—	फोम ट्राली 75 लीटर	01 अद्द
5—	फायर बकेट क्षमता 9 लीटर (स्टैण्ड पर टांगी जाय)	06 अद्द
6—	धुम्रपान निषेध बोर्ड	01 अद्द
7—	बालू/रेत का ढेर 6/6/6 घन फिट व बेलचा	04 अद्द

8— फायर सर्विस का टेलिफोन नम्बर 9454418799 व 9454418800 पुलिस कन्ट्रोल का टेलीफोन नम्बर 100 स्थानीय पुलिस स्टेशन व नजदीकी निर्सिंग होग का टेलीफोन नम्बर बोर्ड पर अंकित किया जाये।

9— स्ट्रेचर रस्सा व फर्स्ट एड बाक्स रखा जाये।

10— एच0एस0डी0 ड्रेनेज करते समय अर्थिंग अवश्यक की जाये।

11— एम0एस0/एच0एस0डी0 लाने वाले टैंकर में फ्लेम अरेस्टर लगाया जाये।

12— प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व दोष की प्रकियाओं की जानकारी रखना अनिवार्य होगा।

13— प्रश्नगत रिटेल आउटलेट भूखण्ड के निकट किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नहीं होगा जिससे कि क्षेत्रीय मार्ग पर वाहनो का आवागमन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले एवं बाहर निकलने वाले वाहनों का स्पष्ट रूप से दृष्टिगत न हो सके।

14— एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 एवं एक्सप्लोसिव सब स्टेशन एक्ट 1908 का पालन कियाक जाये।

15— मानचित्र में दर्शाये गये नोट बिन्दु 01 से 12 तक के निर्देशों एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

16— समरसेबल पम्प के साथ 5,000—लीटर का अण्डरग्राउण्ड टैंक बनवाना अनिवार्य होगा।

निम्नांकित का बोर्ड डिसपेन्सर के पास लगायें—

क्या करें	क्या न करें
1. मेबाइल फोन बंद रखें। 2. तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखें। 3. सुनिश्चित कर ने कि डिस्पेन्सर के पास अग्नि शमन यंत्र रखे हुए है। 4. तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबाये।	1. वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करें ज तक वाहन के टैंक से नोजल अलग न ह जायें। 2. धूम्रपान न करें। 3. खुली आग का प्रयोग न करें। 4. लारी से तेल टैंक में तेल भरते समय वाहन में तेल न भरें।

अतः मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर द्वारा डीजल/पेट्रोल पम्प गाटा सं0—908 ग्राम—कोन्हवलिया, (देवरिया कसया मार्ग पर) परगना—शाहजहाँपुर तहसील—देवरिया, जिला—देवरिया पर नये रिटेल आउटलेट का संचालन करने से पूर्व उपरोक्तानुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्राविधान कराकर उनका अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रामाण—पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तभी आउटलेट परिसर का प्रयोग सुरक्षित माना जायेगा। यदि किसी क्लाज का उल्लंघन किया जाता है तो यह संस्तुति आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

4— मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर के पत्रांक—2651/132 पे0प0—गो0क्षे0/2020—21 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार प्रस्तावित आउट लेट रिटेल पेट्रोल पम्प ग्राम—कोन्हवलिया, (देवरिया कसया मार्ग पर) परगना—शाहजहाँपुर तहसील—देवरिया, जिला—देवरिया में स्थित गाटा सं0—908 पर श्री चन्द्रभान तिवारी पुत्र कपिलदेव तिवारी के मेसर्स हिन्दुस्तान कार्पोरेशन लि0 के नाम से को रिटेल आउटलेट डीजल/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है—

1– पेट्रोल पम्प का निर्माण प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या–1882/23–12–19–1365/17 टी०सी० लोक निर्माण विभाग अनुभाग 12, लखनऊ, दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी "The Uttar Pradesh Guidline of NOC for Setting up fuel Station along UPPWD Roads 2019" में दिये गये निर्देशों एवं चेकलिस्ट की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

2– प्रस्तावित स्थल के दोनों ओर 300 मीटर तक कोई रोड कासिंग नहीं होनी चाहिए।

3– आई०आर०सी०–12, 2009 के अनुसार मार्ग पर 300 मीटर की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नहीं होना चाहिए।

4– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। प्रस्तावित निर्माण में बफर स्ट्रिप मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मीटर छोड़कर होनी चाहिए। लो०नि०वि० की स्थायी भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।

5– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी पर सड़क पर यातायात की विलिविलिटी होनी चाहिए। इसमें कोई अवरोध न हो। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जो स्थलीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिा जाय।

6– यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स डीड सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० एवं पार्टी द्वारा एक्जीक्यूट करा लिया जाय।

8– भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9— प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईन बोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाय, जिसमें भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेन्स न हो।

10– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग पर निर्मित की जानी वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में न्यूनतम 1.00 मीटर स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कराया जाय, ताकि पानी सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके।

11– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग की ढाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 2 प्रतिशत होगा तथा पुलिया आई०आर०सी०एस०पी०–13, 1983 के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग का रख–रखाव कम्पनी द्वारा स्वयं बहन किया जायेगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।

12– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पेव्ड एरिया का लेविल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से कम से कम 0.30 मी० नीचे रखा जायेगा।

13– टर्निग कर्व रेडियस 13.00 मीटर रखा जाय एवं रेडियस आफ नान टर्निग कार्व 1.500 मीटर से 3.00 मीटर के बीच रखा जाय।

14– प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक कर्वा के बाद पुनः अनुमति लेनी पड़ेगी।

15– जब भी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी पड़ेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर निर्माण हटाना होगा।

16– मार्ग पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर न बनाया जाय, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।

17– पेट्रोल उत्पाद के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के अधिनियमों एवं अर्हताओं की जानकारी कर जान–माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसका उत्तरदायित्व पम्प मालिक का होगा।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझाा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

5– जिला पूर्ति अधिकारी, देवरिया द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–249/जि०पु०अ०–एच०एस०डी०–2020 दिनांक 06.07.2020 द्वारा आख्या दी गयी है कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक से संलग्न मैप के अनुसार प्रस्तावित स्थल का स्थलीय जांच करायी गयी। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, ने अपने जांच आख्या दिनांक 06.08.2020 में अवगत कराया गया है कि मैप के अनुसार प्रस्तावित स्थल की चौहद्दी सही पाया गया। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई उच्च क्षमता का विद्युत तार नहीं गुजरा है। जांच के दौरान अन्य कोई आपत्तिजन तथ्य जांच के दौरान नहीं पाया गया। जिससे पेट्रोल/डीजल पम्प संचालन में कोई परेशानी हो। उक्त स्थल ग्राम–कोन्हवलिया (देवरिया–कसया मार्ग पर) स्थित है, जिसके कारण पेट्रोल/डीजल पम्प खोले जाने हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर कोई पेट्रोल/डीजल पम्प खोला जाता है तो आपूर्ति विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6— प्रभागीय निदेशक, सा0वा00न प्रभाग, देवरिया के पत्रांक—435/2—6, दिनांक 18.08.2020 द्वारा 04 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध करायी गयी है:—

1— प्रस्तावित पेट्रोल पम्प देवरिया—कसया मार्ग किमी0 14 से 15 के मध्य दायी पटरी पर खसरा/गाटा सं0—908 ग्राम—कोन्हवलिया, पोस्ट—कंचनपुर, तहसील—देवरिया व जिला—देवरिया में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम्स कार्पोरेशन लि0 द्वारा स्थापित किया जाना है।

2— उक्त प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प श्री चन्द्रभान तिवारी पुत्र स्व0 कपिलदेव तिवारी ग्राम—कोन्हवलिया, पोस्ट—कंचनपुर, तहसील—देवरिया व जिला—देवरिया के नाम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

3— उक्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल का जी0पी0एस0 लोकेशन निम्न प्रकार है –N-26*35'31" तथा E-083*51'27.1" है।

4— उपरोक्त प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प की स्थापना देवरिया—कसया मार्ग किमी0 14—15 के मध्य दायी पटरी पर 35X35 मि0 के प्लान्ट में स्थापित होने है तथा मध्य सड़क से प्लाट तक का ऐरिया 35X22.86 मि0 यानी 800.1 वर्ग मीटर पटरी की भूमि पहुँच मार्ग के रूप में प्रयोग किया जायेगा जो संरक्षित वनक्षेत्र है। इसमें कुल 15 अद्द विभिन्न प्रजाति के वृक्ष है जिसमें 8 वृक्ष आवागमन में बाधक है तथा 7 वृक्ष मध्य भाग में स्थित है जो सुरक्षित रहेगा जिसकी नपत क्षेत्रीय वन अधिकारी के रिपोर्ट संलग्न है।

5— उक्त संरक्षित वन भूमि को गैर बानकी प्रयोग एवं प्रभावित वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा) भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पूर्व अनुमति के लिए बेबसाईट—http://parivesh.nic.in पर ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रस्तावित स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित वृक्षों का पातन किया जा सकेगा।

अतः अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7— अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, सलेमपुर के पत्रांक संख्या—2456/वि0वि0ख0(दे0), दिनांक 12.10.2020 द्वारा आख्या दी गयी है कि गाटा सं0—908 पर अवर अभियन्ता देवरिया द्वारा निरीक्षण के दौरान जाँच अख्या प्रस्तुत करक गयी कि गाटा सं0—908 ग्राम—कोन्हवलिया, तहसील—देवरिया के ऊपर से किसी भी प्रकार की कोई भी उच्च विभव अथवा निम्न विभव की लाईन नहीं जा रही है। अतः विद्युत विभाग को पेट्रोल पम्प के निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है।

8— क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 467/एन0ओ0सी0 150/2020 दिनांक 19.08.2020 आख्या दी गयी है कि गाटा सं0—908, ग्राम—कोन्हवलिया, परगना—शाहजहाँपुर, तहसील—देवरिया, जिला—देवरिया में प्रस्तावित मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, गोरखपुर की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपभोक्ता पेट्रोल पम्प की स्थाना हेतु राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से संस्तुति की जाती है:—

1— प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना इस प्रकार किया जाये, जिससे की आस—पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2— पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित के अधिकाधिक भू—भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।

3— पोट्रोलियम पदार्थ अत्यधीक ज्वलनशील होने के कारण जान—माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निसमन विभाग के गाईड लाईन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस—पास आबादऊी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।

4— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम—1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

5— घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सांक पीट की व्यवस्था स्थापित की जाये।

6— पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी देशा मे औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।

7— पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इस के पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

8— पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्ड्स एण्ड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेन्ट एण्डड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स) रूल 2016 तथा मैन्युफैक्चर स्टोरेज एण्ड इम्पोट आफ हैजार्ड्स केमिकल्स रूल, 1989 एवं पब्लिक लाईबिल्टी इन्श्योन्स ऐक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

9— पेट्रोल पम्प द्वारा जिला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धीत विभागों से लाईसेन्स/अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किया जाये।

10— पेट्रोल पम्प द्वारा एक अद्द 16 किलो लीटर पेट्रोल (एम0एस0) एक अद्द 35 किलो लीटर डीजल ऑयल (एच0एस00डी0) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जायें।

11— प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण टैंक की स्थापना की जाये।

12— पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर बिन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।

13— पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू—प्रयोग 143—जेड.ए. के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर भू—प्रयोग प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।

14— पेट्रोल पम्प द्वारा सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी से आन साइट डिजास्टर मैनेजमेनट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

15— पेट्रोल पम्प की स्थापना भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रदत्त मैप के ले—आउट प्लान के अनुसार की जाये।

16— प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।

17— पेट्रोल पम्प द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु डी0 जी0 सेट की स्थापना किये जाने की दशा में ध्वनि प्रदूषण की रोक—थाम हेतु कैनोपी/एकास्टिक इन्क्लोजर 0 साइलेन्सर की व्यवस्था स्थापित करने के साथ गैसीय उर्त्सजन हेतु डी0जी0 सेट के एक्झास्टपर निकटतम भवन छत से 0.2 के0बी0ए0 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किया जाये।

18— पेट्रोल पम्प पर आने वाले वाहनों के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि मार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हों।

अतः उपरोक्त सभी विभागों द्वारा उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पालन न करने की दशा में यह अनापत्ति स्वतः निष्प्रभावी होगी।

जिला मजिस्ट्रेट,
देवरिया।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट देवरिया।

संख्या 867 /शस्त्र—2021 दिनांक 22 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः— श्री संजय कुमार (डी0जी0एम0 रिटेल) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 एच0पी0सी0एल0, प्रशान्त टॉवर (भूतल) महेबा, चुंगी, ट्रान्सपोर्ट नगर, गोरखपुर, पत्रांक आरयू/एमपीएम/333 कोन्हवलिया, देवरिया दिनांक 13.01.2020 द्वारा ग्राम—कोन्हवलिया, परगना—शाहजहाँपुर, तहसील—देवरिया, जनपद—देवरिया के खसरा/गाटा सं0—908/0.975 हे0 पर न्यू रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) के स्थापना के क्रम में ले आउट प्लान की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
देवरिया।

Sushila Petroleum
C.B. [illegible]

DU Verification/Re-verification: Datasheet (Dispensing Unit wise)

[illegible]	2. Address of RO	3. Name of OMC	4. Date of Verification
[illegible]	[illegible]	H.P.C.L.	08/07/2022
...ke	6. DU Model Approval no.	7. DU Serial no.	8. Total no. of Nozzles
TH-22 3ELO	2021 [illegible]	[illegible]450	4-T0
...n Cert. No./Date (New DU)	10. DU purchase Invoice No/ Date (New DU)	11. Reasons for Re-verification	12. Previous Ver. Cert. no/Date

Petrol/ Diesel	Totalizer reading	K-factor	Calibration Count	Motherboard/ CPU Serial No.	Motherboard/ CPU Software Version	Pulsar Serial No.	Whether pulsar is potted? (Yes/No)	Pulsar Software Version
M.S.	559	0.9942	02	37FF[illegible]	906.05.4.7.1	3300[illegible]557 4343383[illegible]220	Y	906.05.4.7.1
H.S.D.	617	0.9991	02			4300[illegible]557 434338323[illegible]220	Y	[illegible]
M.S.	563	0.9948	02			4300[illegible]0657 43433832[illegible]220	Y	"
H.S.D.	603	0.9980	02			93001E[illegible]557 43433832[illegible]220	Y	"

SUSHILA PETROLEUM

...nce person ....

02/22

Dealer- M/S........................
Proprietor

Auth. Officer
OMC....HPCL............

Senior Insp./Inspector
Legal metrology
....

CS Scanned with CamScanner

कोन्हवलिया पेट्रोल पम्प

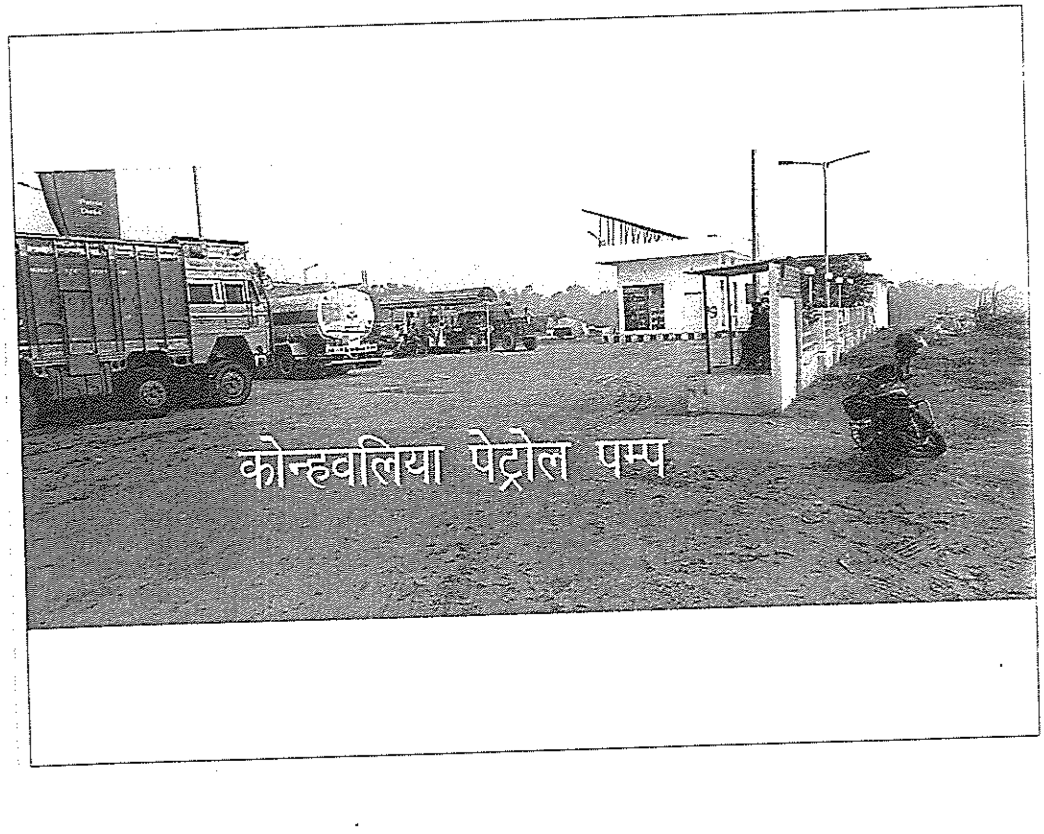
कोन्हवलिया पेट्रोल पम्प

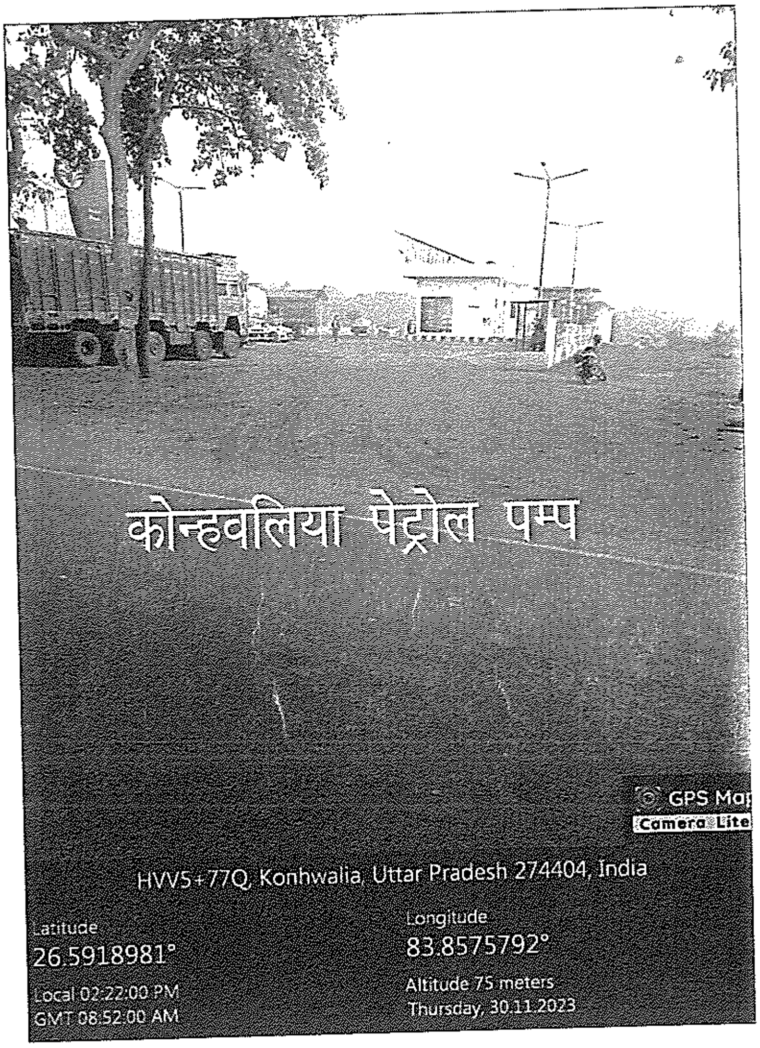
कोन्हवलिया पेट्रोल पम्प
GPS Map
Camera Lite
HVV5+77Q, Konhwalia, Uttar Pradesh 274404, India
Latitude
26.5918981°
Local 02:22:00 PM
GMT 08:52:00 AM
Longitude
83.8575792°
Altitude 75 meters
Thursday, 30.11.2023